सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **331/2017** दायर दिनाँक **05.12.2017**

वादीगण		**प्रतिवादीगण**
1. घिसुसिंह पुत्र स्व0 भोमसिंह 2. पुष्पसिंह पुत्र स्व0 भोमसिंह 3. छाजूसिंह पुत्र स्व0 भोमसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी भण्डारी तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. समन्दरसिंह उर्फ ज्ञानसिंह पुत्र स्व0 किशोरसिंह 2. मदनसिंह उर्फ बदनसिंह पुत्र स्व0 किशोरसिंह 3. हनुमानसिंह पुत्र स्व0 किशोरसिंह 4. ईश्वरसिंह पुत्र स्व0 बेरीसालसिंह 5. सायरसिंह पुत्र स्व0 बेरीसालसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण भण्डारी तहसील–डीडवाना जिला–नागौर राज0 6. तहसीलदार डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री भैरोसिंह अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **27.03.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, मौजा सरहद भण्डारी में स्थित पैतृक खेत खसरा सं0 13 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा, खसरा सं0 100 रकबा 18 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 33 बीघा 13 बिस्वा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 तक की खातेदारी में दर्ज है। जो कि गलत रूप से दर्ज है। वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 05 एक ही पूर्वज स्व0 गणपतसिंह से संबंधित है। स्व0 गणपतसिंह के तीन पुत्र किशोरसिंह, बेरीसालसिंह व भोमसिंह हुए। उक्त स्व0 किशोरसिंह के पुत्रगण

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 331/2017
दायर दिनाँक 05.12.2017, निर्णय दिनाँक 27.03.2018
घिसुसिंह बनाम समन्दरसिंह, वगैरा।

प्रतिवादीगण सं0 01 से 03 तथा स्व0 बेरीसालसिंह के पुत्रगण प्रतिवादी सं0 04 व 05 व स्व0 भोमसिंह के पुत्रगण वादीगण सं0 01 से 03 तक है।

मौजा सरहद भण्डारी में स्थित पैतृक खेत खसरा सं0 13 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा, खसरा सं0 100 रकबा 18 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 33 बीघा 13 बिस्वा पैतृक खैताय है। जिसमें वादीगण का 1/3, प्रतिवादी सं0 01 से 03 तक का 1/3, प्रतिवादीगण सं0 04 व 05 का 1/3 हक हिस्सा व अधिकार कब्जा काश्त है व अपने हक हिस्से व अधिकार के अनुसार ही पक्षकारान पुराने समय से मौके पर काबिज है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से उक्त खैतायों में वादीगण का नाम दर्ज नहीं हो सका जिसकी जानकारी हाल के दिनों में वादीगण को होने से वादीगण ने प्रतिवादी सं0 01 से 05 तक या इनके प्रतिनिधियों से सम्पर्क किया तो इन लोगों ने गलत खातेदारी की औट में वादीगण को दखल करके उक्त भूमि का बैचाण अन्य को कर देने की धमकी देने से वादी की ओर से यह वाद पत्र वास्ते घोषणा रेकर्ड दुरूस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का लाजमी होने से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

प्रतिवादी सं0 01 को बचपन में समंदरसिंह व ज्ञानसिंह व प्रतिवादी सं0 02 को मदनसिंह व बदनसिंह के नाम से पुकारा जाता था। इसलिए खेत खसरा सं0 13 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा में समंदरसिंह का नाम का अंकन ज्ञानसिंह तथा मदनसिंह के नाम का अंकन बदनसिंह दर्ज हो गया। प्रतिवादी सं0 01 का आवश्यक दस्तावेजों में समंदरसिंह तथा प्रतिवादी सं0 02 का मदनसिंह नाम ही रेकर्ड में होने से इस खेत खसरा में प्रतिवादी सं0 01 का सही नाम समंदरसिंह व प्रतिवादी सं0 02 का नाम मदनसिंह दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना वादीगण है कि मौजा सरहद भण्डारी में स्थित पैतृक खेत खसरा सं0 13 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा, खसरा सं0 100 रकबा 18 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 33 बीघा 13 बिस्वा में वादीगण की 1/3 हक अधिकार व कब्जे की प्रतिवादी सं0 01 से 03 की 1/3 तथा प्रतिवादी सं0 04 व 05 की 1/3 भूमि घोषित की जाकर इनके मध्य विधिवत बाई मिटस एण्ड बाण्डस बंटवारा किया जावें तथा खसरा सं0 13 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा में ज्ञानसिंह के नाम का अंकन समंदरसिंह तथा बदनसिंह के नाम का अंकन मदनसिंह दर्ज की घोषणा की जाकर तदनुसार रेकर्ड दुरूस्ती फरमावें।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 331/2017
दायर दिनाँक 05.12.2017, निर्णय दिनाँक 27.03.2018
घिसुसिंह बनाम समन्दरसिंह, वगैरा।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे ंलाई जाने का आदेश पारित किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी पुष्पसिंह का आदेश 18 नियम 04 सी0पी0सी0 का शपथ पत्र पेश हुआ।

वकील वादीगण की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादीगण, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद मौजा सरहद भण्डारी में स्थित पैतृक खेत खसरा सं0 13 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा, खसरा सं0 100 रकबा 18 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 33 बीघा 13 बिस्वा में वादीगण की 1/3 हक अधिकार व कब्जे की, प्रतिवादी सं0 01 से 03 की 1/3 तथा प्रतिवादी सं0 04 व 05 की 1/3 भूमि घोषित की जाती है तथा खसरा सं0 13 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा में ज्ञानसिंह के नाम के स्थान पर समंदरसिंह तथा बदनसिंह के नाम के स्थान पर मदनसिंह दुरूस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **27.03.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **331/2017** दायर दिनाँक **05.12.2017**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. घिसुसिंह पुत्र स्व0 भोमसिंह 2. पुष्पसिंह पुत्र स्व0 भोमसिंह 3. छाजूसिंह पुत्र स0 भोमसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी भण्डारी तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. समन्दरसिंह उर्फ ज्ञानसिंह पुत्र स्व0 किशोरसिंह 2. मदनसिंह उर्फ बदनसिंह पुत्र स्व0 किशोरसिंह 3. हनुमानसिंह पुत्र स्व0 किशोरसिंह 4. ईश्वरसिंह पुत्र स्व0 बेरीसालसिंह 5. सायरसिंह पुत्र स्व0 बेरीसालसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण भण्डारी तहसील–डीडवाना जिला–नागौर राज0 6. तहसीलदार डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **27.03.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री भैरूसिंह, वकील, वादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा बख्वाहिश डिक्री सादिर कर, शरहद मौजा सरहद भण्डारी में स्थित पैतृक खेत खसरा सं0 13 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा, खसरा सं0 100 रकबा 18 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 33 बीघा 13 बिस्वा में वादीगण की 1/3 हक अधिकार व कब्जे की, प्रतिवादी सं0 01 से 03 की 1/3 तथा प्रतिवादी सं0 04 व 05 की 1/3 भूमि घोषित की जाती है तथा खसरा सं0 13 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा में ज्ञानसिंह के नाम के स्थान पर समंदरसिंह तथा बदनसिंह के नाम के स्थान पर मदनसिंह दुरूस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत......................–.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **28.03.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
(सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर))

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील	–		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
(सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर))

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–331–2017 / रीडर / 2018 / 296 दिनाँक 2/4/18

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. घिसुसिंह पुत्र स्व0 भोमसिंह 2. पुष्पसिंह पुत्र स्व0 भोमसिंह छाजूसिंह पुत्र स0 भोमसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी भण्डारी तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. समन्दरसिंह उर्फ ज्ञानसिंह पुत्र स्व0 किशोरसिंह 2. मदनसिंह उर्फ बदनसिंह पुत्र स्व0 किशोरसिंह 3. हनुमानसिंह पुत्र स्व0 किशोरसिंह 4. ईश्वरसिंह पुत्र स्व0 बेरीसालसिंह 5. सायरसिंह पुत्र स्व0 बेरीसालसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण भण्डारी तहसील–डीडवाना जिला–नागौर राज0 6. तहसीलदार डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner